2024/309

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री राजेश मोदीराम रावल<br>निवासी एसाउ<br>ग्राम पंचायत अजारी<br>तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। | | सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी<br>उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा |

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 63 वर्ष 2024

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.12.2024 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 24.07.2022 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत अजारी के ग्राम एसाउ में डयारू खेत में खेती की भूमि पर आवास सहित व्यावसायिक उपयोग के लिए हाल में निर्माण कराया गया है, क्या वो वैध है। क्या निर्माण भू–परिवर्तन करा कर किया गया है, अगर भू–परिवर्तन नहीं किया है तो आवास एवं अन्य निर्माण कार्य की अनुमति कैसे मिली और इसके विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है या नहीं। यदि कार्यवाही की गई है तो उक्त रिपोर्ट की प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 24.07.2022 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत अजारी के ग्राम एसाउ में डयारू खेत में खेती की भूमि पर आवास सहित व्यावसायिक उपयोग के लिए हाल में निर्माण कराया गया है, क्या वो वैध है। क्या निर्माण भू–परिवर्तन करा कर किया गया है, अगर भू–परिवर्तन नहीं किया है तो आवास एवं अन्य निर्माण कार्य की अनुमति कैसे मिली और इसके विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है या नहीं। यदि कार्यवाही की गई है तो उक्त रिपोर्ट की प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी [illegible] अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक [illegible] पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय [illegible]ए–इजलास सुनाया गया। [illegible] फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>(अल्पा चौधरी)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner